अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–प्र०–7 / विविध (आरोप)–54 / 2014– 99 /पटना, दिनांक 6.7.16

पथ प्रमंडल बिहारशरीफ के अंतर्गत दो कार्यो–(1) राजगीर बाईपास निर्माण कार्य, (2) ईस्लामपुर बाईपास निर्माण कार्य हेतु दिनांक–12.09.2012 को प्राप्त निविदा में पथ प्रमंडल, कोडरमा से संबंधित वर्ष 2009–10 का जाली अनुभव प्रमाण–पत्र अपलोड किये जाने के लिए दोषी पाये जाने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका 11 (क) (Vii) के अधीन विभागीय आदेश ज्ञापांक–2457 (E) दिनांक–15.04.2015 के माध्यम से मेसर्स विभाराज कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, ग्राम–पथरा इंगलिश, पो०–ओढ़नपुर, थाना–मुफस्सिल, जिला–नवादा के निबंधन पंजीकरण सं०–अ०प्र० / श्रेणी–01 (प्रथम)–459 / 2013 पथ को काली सूची में डाला गया।

2. उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक के अपील अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–28.04.2015 पर अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव (पथ निर्माण विभाग) द्वारा दिनांक–06.10.2015, 27.10.2015 एवं 24.11.2015 को सुनवाई की गयी । इस मामले में अन्तिम रूप से दिनांक–15.12.2015 को सुनवाई करते हुए अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक–1067 (एस) दिनांक–15.02.2016 एवं पत्रांक–1647 (ई०) दिनांक–08.03.2016 के माध्यम से कालीकरण आदेश के पूर्व संवेदक को जाली प्रमाण–पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण तथा कालीकरण आदेश की अवधि निर्धारित नहीं होने के फलस्वरूप संवेदक से पुनः स्पष्टीकरण प्राप्त कर समीक्षोपरान्त तीन माह के अन्दर यथोचित सकारण आदेश निर्गत करने का आदेश लेखापित एवं सत्यापित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–2431 (ई०) दि० 01.04.2016 द्वारा कालीकरण आदेश ज्ञापांक–2457 (ई०) दिनांक–15.04.2015 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया तथा जाली अनुभव प्रमाण–पत्र एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोडरमा के सत्यापन पत्रांक–1488 (अनु०) दि० 10.10.2012 की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–2419 (ई०) दिनांक–01.04.2016 द्वारा संवेदक से पुनः कारणपृच्छा की गयी, जिसके अनुपालन में संवेदक विभाराज कन्सट्रक्शन प्रा०लि० के पत्रांक–शून्य, दि० 14.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के मुख्य बिन्दु एवं इसकी समीक्षा निम्नवत् है :–

(क) संवेदक द्वारा अंकित किया गया है कि विभागीय कार्यालय आदेश सं०–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस), दि० 18.06.2015 को निर्गत है जबकि Tender process में 2009–10 का जाली अनुभव प्रमाण–पत्र का जिक्र किया जा रहा है। 2009–10 के अनुभव प्रमाण–पत्र पर उक्त कार्यालय आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है।

संवेदक का उपर्युक्त तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) में ऐसे कृत्य के लिए कालीकरण का प्रावधान है तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस) दि० 18.06.2015 द्वारा केवल कालीकरण की अवधि निर्धारित करने का प्रावधान की गई है।

(ख) संवेदक द्वारा अंकित किया गया है कि इनके द्वारा कभी भी किसी निविदा में जाली अनुभव प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया है तथा पूछे गये स्पष्टीकरण में Much less अनुभव प्रमाण–पत्र दिखाया गया है।

उक्त संबंध में पूर्व में ही स्पष्ट हो चुका है कि इनके द्वारा जाली अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के समय Upload किया गया है। आरोप साबित होने पर कम अथवा अधिक अनुभव का प्रमाण–पत्र होना औचित्य नहीं रखता है।

(ग) संवेदक द्वारा अंकित किया गया है कि निविदा प्रक्रिया वर्ष 2012 की है एवं Tender में वे असफल रहे, ऐसी स्थिति में इसका जाँच किया जाना मुश्किल है।

Tender वर्ष 2012 का रहे या किसी अन्य साल का, मुख्य तथ्य है कि इनके द्वारा निविदा में Fake अनुभव प्रमाण–पत्र Upload किया गया।

(घ) संवेदक द्वारा यह अंकित किया गया है कि इनके प्रमाण–पत्र की जाँच 2012 में की गयी एवं कारणपृच्छा दो साल बाद किया गया।

दो साल बाद कारणपृच्छा किये जाने से संवेदक का दोष कम नहीं हो जाता है।

(ड़) संवेदक द्वारा यह अंकित किया गया है कि चूंकि निविदा में विभाराज कन्सट्रक्शन असफल रहा, इसलिए विभाग को कोई हानि नहीं हुई।

उक्त तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि विभाग को कोई हानि हुआ हो अथवा नहीं इससे सरोकार नहीं है। तथ्य यह है कि इनके द्वारा निविदा प्राप्त करने हेतु गलत तरीका इस्तेमाल किया गया।

(3) संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित अन्य तथ्य को पूर्व के स्पष्टीकरण में भी अस्वीकृत करते हुए इन्हें कालीसूची में डाला गया।

(4) उपरोक्त समीक्षोपरांत संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका– 11 (क) (vii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश

संख्या–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस) दि० 18.06.2015 की कंडिका–8 (4) के आलोक में संवेदक मेसर्स विभाराज कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, ग्राम–पथरा इंगलिश, पो०–ओढ़नपुर, थाना–मुफस्सिल, जिला–नवादा (निबंधन पंजीकरण सं०–अ०प्र० / श्रेणी–01 (प्रथम)–459 / 2013 पथ) को दस वर्षो के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

5/7/16
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7 / विविध (आरोप)–54 / 2014– 4549 (E) /पटना, दिनांक 6/7/16

निबंधित

प्रतिलिपि :– मेसर्स विभाराज कन्सट्रक्शन प्रा०लि०, ग्राम–पथरा इंगलिश, पो०–ओढ़नपुर, मुफस्सिल, जिला–नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

5/7/16
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7 / विविध (आरोप)–54 / 2014– 4549 (E) /पटना, दिनांक 6/7/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / आयुक्त एवं सचिव / सचिव, प०नि०वि० / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / ऊर्जा विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/7/16
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7 / विविध (आरोप)–54 / 2014– 4549 (E) /पटना, दिनांक 6/7/16

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग / उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०–1, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/7/16
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7 / विविध (आरोप)–54 / 2014– 4549 (E) /पटना, दिनांक 6/7/16

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

5/7/16
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

05/7/16

1440